

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
निदेशक (चिकित्सा एवं पेंशन) का कार्यालय, परामर्शदाता

संख्या पीए/निदेशक(एमएंडपी) परामर्शदाता/2014/62

दिनांक:14.7.2014

**विषय: इंडौर/ओपीडी चिकित्सा दावों के लिए कर्मचारियों/पेंशनरों से अनुमत्य राशि से ज्यादा संबंधी अनुरोधों के लिए दिशानिर्देश**

एफएम/डीडीए द्वारा उपयुक्त समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि अनुमत्य राशि (इंडौर/ओपीडी दोनों चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के लिए) से ज्यादा राशि के अंतर चिकित्सीय दावों की अनुमति देने संबंधी सभी अभ्यावेदनों को मेरिट के आधार पर मामलों की जांच करने तथा सिफारिशें नोट करने के लिए विशेष वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इस समिति के अध्यक्ष निदेशक (आईए) वित्त होंगे तथा उप सीएओ (एम), सदस्य और वरिष्ठ एओ (एम)II सदस्य सचिव होंगे। इस समिति की बैठक ऐसे मामलों के लिए प्रत्येक पंद्रह दिन में एक बार होगी। समिति को सहायता के लिए दिशानिर्देशों की प्रति इसके साथ संलग्न है (वित्त मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित विषय संबंधी विस्तृत नोट की प्रति)।



(अशोक कुमार शर्मा)

निदेशक (चिकित्सा एवं पेंशन) परामर्शदाता

1. निदेशक (आईए) }
2. उप सीएओ (एम) } संलग्नकों सहित
3. सभी अंचल उप सीएओ को जोनल दावों के संबंध में संलग्नक तथा एनए सहित }  
संलग्नकों के साथ
4. वरिष्ठ एओ (एम) II} संलग्नक सहित

एनओओ

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. एफएम के ओएसडी
2. सीएओ के पीएस

3. संलग्नक की प्रति के साथ एफए(एच)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (सीसी)
4. वरिष्ठ एओ (एफ एवं ई)